[2019] 13 एस.सी.आर. 651

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य।
बनाम
ग्रेस सत्यवती शशिकांत और अन्य।

(प्रकीर्ण आवेदन संख्या 910-924/2019) (2018 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 3793-3807) में (2015 की सिविल अपील संख्या 5442-5456)
01 अक्टूबर 2019

[आर. एफ. नरीमन, के.एम. जोसेफ और
वी. रामासुब्रमनियन,जे.जे.]

शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 शहरी भूमि सीमा की कार्यवाही ने कुछ भूमि समाचार पत्र प्रकाशन को सौंप दी - उक्त कार्यवाही को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एक सर्वेक्षण का आदेश दिया और कहा कि यदि सर्वेक्षण के बाद, यह स्पष्ट है कि 8000 वर्ग मीटर की सीमा. प्रकाशन के लिए आवंटित वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी था, आवंटन का आदेश रद्द कर दिया जाएगा - सुप्रीम कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और सर्वेक्षण संख्या का सीमांकन करने का आदेश दिया। 129/45/डी- प्रारंभिक सर्वेक्षण में कहा गया कि उक्त सर्वेक्षण संख्या में ऐसी कोई भूमि मौजूद नहीं थी - इसके अनुसरण में, राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया - राज्य द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई थी, हालांकि, उसका निपटारा कर दिया गया था निर्देश कि दायर की गई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुरूप नहीं थी - इसके बाद, एक मानचित्र के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई थी - माना गया: मूल नागरिक अपील में शामिल दस्तावेज इस तथ्य का खुलासा करते हैं कि उक्त संपत्ति थी आयताकार आकार - अनुपालन रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र को देखने पर, संपत्ति का विवरण टीएस नंबर 19/पी के अनुरूप होगा, जिसे 'पीक्यूआरएस' (आयताकार आकार) अक्षरों द्वारा चिह्नित किया गया था और इसे समाचार पत्र प्रकाशन के लिए आवंटित किया गया था। और प्लॉट संख्या 129/45/डी को 'एबीसी' (त्रिकोणीय आकार) के रूप में चिह्नित किया गया था - 'एबीसी' के रूप में चिह्नित भूमि पर भारी निर्माण किया गया था और अपीलकर्ताओं के लिए इसका कोई उपयोग नहीं था - पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट में ग़लत कहा गया कि ज़मीन मौजूद नहीं है -

हालाँकि, दूसरी रिपोर्ट में भूमि का पता चला, लेकिन वह स्थान नहीं जहाँ वह वास्तव में मौजूद थी - मामले के असाधारण तथ्यों को देखते हुए, धारा के तहत शक्तियाँ मिलती हैं। अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया गया - प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और यह घोषित किया गया कि जो भूमि सर्वेक्षण क्रमांक पर है। सर्वे क्रमांक 19/पी जो दूसरे सर्वेक्षण रिपोर्ट के मानचित्र में 'पीओआरएस' के रूप में अंकित है, वह भूमि वास्तव में सर्वेक्षण क्रमांक 129/45/डी पर है। यह मामला होने पर, आवंटन को रद्द कर दिया गया और समाचार पत्र प्रकाशन को अपीलकर्ताओं को जमीन देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने आवेदनों का निस्तारण करते हुए

माना: 1. आमतौर पर, इस न्यायालय ने उस रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए मूल अपीलकर्ताओं को हटा दिया होगा जो अब समीक्षा आदेश के अनुपालन में दायर की गई है। हालाँकि, अधिकारियों की ओर से इस भूमि को छोड़ने में अनिच्छा है क्योंकि यह अत्यंत मूल्यवान है। इस न्यायालय ने पाया है कि कैसे कार्यवाही के पहले दौर में, उन्होंने इस बात पर विभिन्न विरोधाभासी रुख अपनाए थे कि क्या भूमि मूल रूप से निष्क्रांत संपत्ति थी या अन्यथा। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुसार किए गए पहले सर्वेक्षण में, इस भूमि को छोड़ने में बहुत अनिच्छा थी, यही वजह है कि उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में गलत कहा गया कि ऐसी भूमि मौजूद ही नहीं है। इस न्यायालय के बार-बार आग्रह करने पर ही अंततः एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भूमि का पता लगाया गया है, लेकिन वह स्थान नहीं जहां यह वास्तव में मौजूद है। इसका कारण ढूंढना दूर की बात नहीं है - क्योंकि यदि, वर्तमान रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र के अनुसार, ए, बी, सी चिह्नित भूमि को अपीलकर्ताओं को सौंप दिया जाना था, तो यह वह भूमि होगी जो भारी रूप से निर्मित है और जिसका कोई उपयोग अपीलकर्ताओं के लिए नहीं है, जो भी हो, उपयोग करें। [पैरा 12] [656-ई-एच]

2. इसलिए, इस मामले के असाधारण तथ्यों को देखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं को कार्यवाही के एक और दौर में ले जाना नहीं चाहता है और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूसरी रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है और यह घोषित किया जाता है कि जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 19/पी पर है और जिसे दूसरे सर्वेक्षण रिपोर्ट के मानचित्र में 'पीक्यूआरएस' के रूप में चिह्नित किया गया है, वह भूमि वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि समाचार पत्र प्रकाशन के लिए किया गया आवंटन रद्द किया जाना चाहिए, और भूमि अपीलकर्ताओं को सौंप दी जानी चाहिए। [पैरा 13] [657-ए-बी] आंध्र प्रदेश सरकार बनाम ग्रेस सत्यवती शशिकांत

अंतर्निहित/सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2019 की समीक्षा याचिका में विविध आवेदन संख्या 910-924 (सी) 2018 की संख्या 3793-3807, 2015 की सिविल अपील संख्या 5442-5456,

2018 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 3793-3807 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.02.2019 से

महेश जेठमलानी, पी रघुराम, के राधाकृष्णन, दुष्यंत ए दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमएस अनंगा भट्टाचार्य, रोहित राव एन, देवहुति तमुली, एमएस सानिया परवीन, पी वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, पी श्रीनिवास रेड्डी, एमएस डी गीता, मिस सी०एच० रामोला प्रिया, मिस वी.एस. लक्ष्मी, ए.वी. बालन, मिस वेंकट पलवई, लॉ एसोशियेट, मिस बीना माधवन, वाघले, सत्या अदिराजू, मिस लॉयर एस. निट एंड कम्पनी

अदालत का फैसला आर.एफ नरीमन जे. द्वारा सुनाया गया

1. हमारे सामने इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है और यह न्यायालयों के माध्यम से चला है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सरकार ने हमारे दिनांक 16.08.2017 के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसकी समीक्षा दिनांक 27.02.2019 के निर्णय द्वारा निपटा दी गई, जिसमें यह पता लगाने की मांग की गई कि वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी जुबली हिल्स, शेखपेट, हैदराबाद कहां है।

2. रिट याचिकाएं मूल रूप से शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही और उस कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं जिसके द्वारा कुछ भूमि आंध्र प्रभा प्रकाशन (समाचार पत्र प्रकाशन) को सौंप दी गई थी। ये कार्यवाहियाँ एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में समाप्त हुईं, जिन्होंने अंततः कहा कि शहरी भूमि सीमा की कार्यवाही समाप्त हो गई है, और यह निर्धारित करने के लिए कि आंध्र को भूमि का आवंटन किया गया है या नहीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सर्वेक्षण कराना आवश्यक होगा। प्रदेश प्रकाशनों को अलग रखा जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया कि यदि, सर्वेक्षण के बाद, यह स्पष्ट है कि आंध्र प्रभा प्रकाशनों को आवंटित की गई 8,000 वर्ग मीटर की सीमा वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी थी, तो उपरोक्त भूमि आवंटित करने का आदेश आंध्र प्रभा प्रकाशनों को अलग रखना होगा। आगे यह आदेश दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता उक्त सर्वेक्षण परिणाम से व्यथित महसूस करते हैं, तो वे कानून में उनके लिए उपलब्ध उचित उपाय दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर.

3. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 16.03.2011 के एक फैसले द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच के आदेश को, बदले में, 16.08.2017 को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके फैसले से यह कहा गया था कि डिवीजन बेंच ने संपत्तियों के दो सेटों को मिलाकर गलती की थी, जिसके परिणामस्वरूप, रद्द करने के बाद डिवीजन बेंच के आदेश, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में निहित निर्देश को बहाल किया गया था। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई जिसमें हमारा आदेश दिनांक 10.05.2018 दर्शाता है कि सर्वे नं. 129/45/डी का सीमांकन किया जाना था। इस न्यायालय के दिनांक 21.03.2018 के आदेश के बावजूद, ऐसा नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को उस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना पर सीमांकित क्षेत्र की एक प्रति हलफनामे पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

4.तब किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि उपरोक्त सर्वेक्षण संख्या में शामिल कोई भी भूमि मौजूद नहीं है। जब इसका सामना हुआ, तो राज्य की ओर से पेश हुए तत्कालीन विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनुरोध किया कि फैसले की समीक्षा की जाए। तब एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जिसका निपटान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2019 के एक विस्तृत निर्णय द्वारा किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया था और फिर कहा था किः-

" उच्च न्यायालय के फैसले और उपरोक्त दस्तावेजों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से सरकार के लिए यह कहना संभव नहीं है कि जुबली हिल्स, शेखपेट, हैदराबाद में ऐसा कोई प्लॉट, यानी सर्वे नंबर 129/45/डी या 129/डी-45 मौजूद नहीं है। .

यह मामला होने के कारण, हम दिनांक 02.07.2018 को दायर की गई समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं और इसे अलग रख देते हैं क्योंकि यह रिपोर्ट विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुरूप नहीं है जिसे हमारे द्वारा बरकरार रखा गया है।

इसलिए, हम सरकार को निर्देश देते हैं कि वह उक्त भूखंड को जमीन पर उसी रूप में सीमांकित करे जैसा वह आज मौजूद है। यह आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कलेक्टर द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

समीक्षा याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अनुपालन के लिए आठ सप्ताह के बाद सूची बनाएं।"

5. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, इस न्यायालय को एक मानचित्र के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट दी गई है। अंततः, उक्त भूमि उक्त रिपोर्ट द्वारा उक्त मानचित्र पर निम्न प्रकार स्थित थीः- आंध्र प्रदेश सरकार बनाम ग्रेस सत्यवती शशिकांत [आर.एफ. नरीमन, जे.]

"निष्कर्षः ऐसा देखा गया है

1. भूमि का एक हिस्सा अब प्लॉट नंबर 129/45/डी में एसी.ओ-38% जीटीएस की सीमा तक सीमांकित किया गया है, जहां टी.एस. के अनुरूप एनओसी जारी की गई थी। संख्या 20, ब्लॉक-के, शैकपेट गांव का वार्ड संख्या 12 और भूमि का शेष भाग 1954-55 के एस.ए. संख्या 354/2 में समझौता विलेख के अनुसार, एसी को मापते हुए। 2-22 ग्राम एनओसी जारी की गई भूमि के उत्तरी तरफ है जो 129/45/डी का हिस्सा है जो टीएस संख्या 19 पी, 18 पी, 17/2 पी, ब्लॉक-के, वार्ड-12 से मेल खाती है।

2. आंध्र प्रभा को आवंटित भूमि टीएस.नंबर 19/पी, ब्लॉक-के, शैकपेट गांव के वार्ड नंबर 12 में स्थित है, जो समिति द्वारा सीमांकित भूमि में नहीं आ रही है।

3.तदनुसार, प्लॉट संख्या 129/45/डी (त्रिकोण एबीसी) और आंध्र प्रभा (आयत पीक्यूआरएस) को आवंटित भूमि का स्थान दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार किया जाता है।

6. सिविल अपील में मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट पर आपत्तियां दायर की गईं, जिन पर तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रभा प्रकाशन द्वारा जवाब दायर किए गए हैं।

7. सभी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले, उन कुछ दस्तावेजों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है जो हमारे समक्ष मूल नागरिक अपीलों में शामिल थे। 16.07.1962 की एक बिक्री विलेख, जो इस मामले के तथ्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संपत्ति आयताकार आकार में थी और अन्य चीजों के अलावा, उत्तर की ओर एक सार्वजनिक प्रस्तावित सड़क और दक्षिण और पश्चिम में सरकारी खाली भूमि से घिरी हुई थी। यदि अनुपालन रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र को देखा जाए, तो इस संपत्ति का विवरण टीएस नंबर 19/पी के अनुरूप होगा जो 'पीक्यूआरएस' अक्षरों द्वारा चिह्नित है और जिसे आंध्र प्रभा प्रकाशनों को आवंटित किया गया है।

8. इसके अतिरिक्त यदि शहरी भूमि सीमा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.06.2000, इस भूमि का कुछ भाग अधिशेष घोषित करना भी उपरोक्त आदेश में देखा जाना है यह स्पष्ट करता है कि प्लॉट नंबर 129/45/डी टीएस नंबर 19/2 में समाहित है और है अधिशेष रिक्त भूमि के रूप में वर्णित है। (यह विवादित नहीं है कि जो भूमि टीएस नंबर 17/2 के तहत आती है जो 2 एकड़ 22'% गुंठा को मापता है जिसपर 1980 के दशक में इमारतों के साथ निर्मित हुई थी) साथ ही, कहा अर्बन लैंड सीलिंग आदेश में विशेष तौर पर यह तय किया गया है कि वह जमीन जिस पर प्लॉट क्रमांक 129/45/डी हैं उसमें कोई सरकारी भूमि शामिल नहीं थी, यह निजी स्वामित्व भूमि थी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर

9. हालाँकि, सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने हमें तेलंगाना राज्य की ओर से दिनांक 03.09.2019 को दायर उत्तर हलफनामा पढ़ा, जिसमें शहर के इतिहास में जाने के बाद इस क्षेत्र के योजना सर्वेक्षण में विशेष रूप से कहा गया है कि आंध्र प्रभा प्रकाशनों को आवंटित भूमि को सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो खाली है और सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी में भूमि से अलग है। हमने 1962 के विक्रय पत्र के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 27.06.2000 के आदेश में इस भूमि के विवरण से देखा है कि यह पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि यह भूमि स्पष्ट रूप से सरकारी भूमि नहीं है।

10. आंध्र प्रभा प्रकाशन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी ने भी हमारे ध्यान में यह बात लाई थी कि मूल मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा 2006 के एक हलफनामे में दावा किया गया था कि सर्वेक्षण संख्या 129/45 /डी सर्वेक्षण संख्या 403 से अलग था और इतना अलग होने के कारण, उन्हें इसके विपरीत बहस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त भूमि वास्तव में अस्तित्व में नहीं बताई जा सकती, जैसा कि पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था।

11. हम चिंतित है कि हमारे समक्ष समीक्षा याचिका का निपटारा करने वाले दिनांक 27.02.2019 के फैसले के मद्देनजर इनमें से कोई भी विवाद विद्वान वकील के लिए खुला नहीं है।

12. आमतौर पर, हमने उस रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए मूल अपीलकर्ताओं को अपने सामने धकेल दिया होगा जो अब हमारे समीक्षा आदेश के अनुपालन में दायर की गई है। हालाँकि, हम अधिकारियों की ओर से इस भूमि को छोड़ने में अनिच्छा पाते हैं क्योंकि यह अत्यंत मूल्यवान है। हमने पाया है कि कैसे, कार्यवाही के पहले दौर में, उन्होंने इस बात पर विभिन्न विरोधाभासी रुख अपनाए थे कि क्या भूमि मूल रूप से निष्क्रांत संपत्ति थी या अन्यथा। हमने यह भी पाया कि पहले सर्वेक्षण में जो विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुसार किया गया था, इस भूमि को छोड़ने में बहुत अनिच्छा थी, यही वजह है कि उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में गलत कहा गया कि ऐसी भूमि मौजूद ही नहीं है। इस न्यायालय के बार-बार आग्रह करने पर ही अंततः एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भूमि का पता लगाया गया है, लेकिन वह स्थान नहीं जहां यह वास्तव में मौजूद है। इसका कारण ढूंढना दूर की बात नहीं है - क्योंकि यदि, वर्तमान रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र के अनुसार, ए, बी, सी चिह्नित भूमि को अपीलकर्ताओं को सौंप दिया जाना था, तो यह वह भूमि होगी जो भारी रूप से निर्मित है और जिसका कोई उपयोग नहीं है

अपीलकर्ताओं के लिए, जो भी हो, उपयोग करें। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम ग्रेस सत्यवती शशिकांत (आर. एफ. नरीमन, जे.)

13. इसलिए हमारा विचार है कि, इस मामले के असाधारण तथ्यों को देखते हुए, हम अपीलकर्ताओं को कार्यवाही के एक और दौर में नहीं धकेलना चाहते हैं और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमें दी गई दूसरी रिपोर्ट को अस्वीकार करें और घोषित करें कि जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 19/पी पर है और जिसे दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट के मानचित्र में "पीक्यूआरएस' के रूप में चिह्नित किया गया है, वह वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 129/45/डी है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि आंध्र प्रभा प्रकाशनों को किया गया आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिए, और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को भूमि आंद्रा प्रभा प्रकाशन द्वारा वितरित की जानी चाहिए।

14. प्रकीर्ण आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है।

15. आंध्र प्रभा प्रकाशन द्वारा सरकार को भुगतान की गई सभी राशियाँ सरकार द्वारा आज से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ आंध्र प्रभा प्रकाशन को वापस कर दी जाएंगी। अंकित ज्ञान एम. ए. ने निस्तारण किया।

Digitally signed by Anita Singh
Date: 2023.11.03 15:24:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court